

दिनांक 16.08.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह रावत उपस्थित। अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 54ब जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द्र रतूड़ी प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में आज के लिये स्वीकृत।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली आज बहस हेतु नियत है। दोनों पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28.08.2023 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी
पौड़ी गढ़वाल।